बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं0-स0क0निग0-03/2020-....1916...../श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार के विरुद्ध दिये गये परिवाद के साथ प्राप्त पेन-ड्राईव में इनके द्वारा आंगनबाड़ी सेविका श्रीमती माधुरी कुमारी को अन्य बातों के अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका की चल रही हड़ताल को जारी रखने एवं इसे वापस नहीं लेने का दबाव बनाये जाने इत्यादि का आरोप लगाया गया था। इन आरोपो के आलोक में श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्पति बेगूसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। जिसके आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम (1) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-1871 दिनाक-17.03.2025 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

श्रीमती शर्मा द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनाक-24.03.2025 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का आवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि प्रस्तुत मामले में महाधिवक्ता बिहार द्वारा दिये गये परामर्श में इनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने एवं Continue करने का औचित्य नहीं है। साथ ही परिवादी से साक्ष्य एवं शपथ पत्र की मांग किये जाने पर उनके द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि वे किसी प्रकार का कोई भी शिकायत पत्र के विरूद्ध श्रीमती सुगंधा शर्मा के विरुद्ध प्रेषित नहीं किए है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती शर्मा को भविष्य के लिए सचेत करते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त परिपेक्ष्य में विभागी अधिसूचना संख्या-5061 दिनांक-27.06.2025 द्वारा इन्हें भविष्य के लिए सचेत करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया।

कलांतर में इनके आवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन तथा भत्ता का लाभ देने का निर्णय लिया गया।

अत: श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्पति पूर्णियॉ को निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन तथा भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-03/2020- 1916 पटना-15 दिनांक : 20.4.2026

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त पूर्णियॉ/मुंगेर/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/बेगूसराय/पूर्णियॉ/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/बेगूसराय/पूर्णियॉ/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था०), समाज कल्याण विभाग/संबंधित कोषागार/विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती सुगंधा शर्मा, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार सम्पति पूर्णियॉ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।